



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15(08)पंरावि/विधि/सामाजिक अंकेक्षण सभा/2022/183 जयपुर, दिनांक:- 01-03-2022

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद समस्त।

विषय:-सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में दिनांक 07.03.2022 से 09.03.2022 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाये जाने बाबत ।

संदर्भ:-सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का पत्रांक 6236-57 दिनांक 09.02.2022


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु दिनांक 07.03.2022 से 09.03.2022 को आपके जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन संदर्भित पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पालना करते हुए किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:-सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का पत्रांक 6236-57 दिनांक 09.02.2022 ।

(पी.सी. किशन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पंराज विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पंराज, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंराज, जयपुर ।
- ✓ 4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंराज, जयपुर ।
6. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान ।
7. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर ।
8. ऐ.सी.पी., पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

  
शासन सचिव